

V-190/CR.J.(e)

11-6L-11-94

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

The court of..... पंकज शर्मा
Class.....
Complaint or report made on.....

Name and address of the Complainant.....
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

Name, parentage, caste and address of accused.....
श्यामू खान

श्यामू खान जो शायि खान कि लार्ड ज न गोहद

The offence complaint of its alleged commission.....

आपने दिनांक 15.2.18 को समय 2015 बजे स्थान नर्सरी के पास
पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के
को अपने आधिपत्य में रखा
जो मोप्रो आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
संज्ञान में है।

पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

श्यामू खान

पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

The Offence proved, if any and in case clause(d), clause(f) clause(g) or subsection(i) of section 260 the value of the property in respect of which of which the offence has been committed.

(निर्णय)

(आज दिनांक 7.3.18 को घोषित)

1. आरोपी/गण के विरुद्ध धारा 34 बजावारी के अपराध के आरोप हैं।
2. आरोपी/गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया/किए हैं।
3. आरोपी/गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी/गण को धारा 34 बजावारी के अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी/गण को 1500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में 10 दिवस का साधारण कारावास पृथक से सुगतना होगा।
4. प्रकरण में जन्तशुदा 18 बजावारी दण्ड करार

निर्णय खुले न्यायालय में हरता 10 व दिनांकित कर घोषित किया गया।

07/03/18

पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-मिण्ड (म.प्र.)

गेरे निर्देश पर टाईप किया।

07/03/18

पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-मिण्ड (म.प्र.)